शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 14-08-2020 वर्ग - B.A-II

ये उद्योग निम्नलिखित हैं—
i) वायु आकाश तथा रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रानिक,
ii) बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा प्रस्फोटक फ्यूज
iii) खतरनाक रसायन
iv) तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद,
v) मादक पेय (एल्कोहलिक ड्रिंक)

3. MRTP सीमा समापन / Abolition of the MRTP Limit)
MRTP सीमा (100 करोड़ रुपये की सीमा) का समापन ताकि उद्योगों का विलय, अधिग्रहण तथा आधुनिकरण संभव हो सके। वर्ष 2002 में एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित किया गया, जिसने MRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। MRTP आयोग की जगह प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्य करना शुरु किया (यद्यपि प्रतिस्पर्धा आयोग का संयोजन, वास्तविक कार्य तथा अधिकार क्षेत्र के संबंध में अभी भी कुछ — अड़चने हैं।)

4. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन (promotion to foreign investment)
एक सीमित अथवा बंद अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने भारत में विदेशी पूंजी-निवेश की इच्छा कभी नहीं जताई। नई औद्योगिक नीति इस संदर्भ में पथ से हटकर एक नया कदम है। न केवल कठोर अधिनियम (FERA) को सरकार लचीला करने के लिए वचनबद्ध थी बल्कि विदेशी निवेश (FI) को दोनों रूपों - प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, में सरकार ने प्रोत्साहित किया। विदेशी निवेश के प्रत्यक्ष रूप को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment-FDI)

कहा गया हैं, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित किए हैं। इन उद्यमों के स्वामित्व में उनका हिस्सा 26% से लेकर 100% तक था - एन ऐन तथा कोको इसमें अग्रणी थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की शुरुआत 1991 में की गई। विदेशी निवेश के अप्रत्यक्ष रूप को (अर्थात इक्विटी पूंजी में भारतीय कंपनियों की सम्पत्ति), पोर्टफोलियो निवेश योजना (portfolio investment scheme-PIS) कहा गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1994 में हुई। इस योजना के तहत उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय प्रतिभूति शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई, जिनका अन्य जगहो पर प्रदर्शन अच्छा रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने आपको (SEBI) में एक स्टॉक ब्रोकर (शेयर दलाल) के रूप में दर्ज कराना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह है कि, भारत ने अब तक व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति नही दी हैं। अभी तक मात्र संस्थागत निवेश को अनुमति दी गई हैं।

5. FEMA द्वारा FERA का प्रतिस्थापन (FERA Replaced by FEMA)

सरकार ने वर्ष 1991 में ही कठोर FERA अधिनियम को उदार FEMA द्वारा प्रतिस्थापित करने की वचनबद्धता जताई थी - इसे वर्ष 2000-01 में कार्यान्वित किया गया, (FERA) के समापन के लिए 2 वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गयी।

6. उद्योगों की अवस्थिति (Location of industries)

इससे संबंधित प्रावधानों को इस नीति द्वारा सरल बना दिया गया, जो पहले एक ~~काफी~~ अत्यधिक - बोझिल तथा

तथा समय लेनेवाली प्रक्रिया थी। अब उद्योगों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया - 'प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग' तथा इसके विपरीत वे उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हों। इन उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए एक अत्यधिक सरल प्रावधान की घोषणा की गई:

i) उन उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।

ii) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को मिलियन-नगरों से कम से कम 25 km की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।

7. चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत (Compulsion of phased production Abolished)

चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता के समापन के कारण अब निजी कंपनियाँ अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थीं। अब उद्योगों की क्षमता तथा पूंजी का उपयोग पूरी तरह किया जा सकता है।

8. ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने की अनिवार्यता (Compulsion ~~of~~ To Convert Loans into Shares Abolished)

सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रारंभ 1960 के दशक के अंत में हुआ था तथा यह नीति अधिकतम सार्वजनिक लाभ पर आधारित थी। इस नीति की उत्पत्ति लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से हुई है। इस नीति का